

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 02/2025-State Tax (Rate)

Dated: 30th/June/2025

No. F.3 (13)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/597 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 2/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"105A.	30	Gene Therapy";
--------	----	----------------

(b) in the Explanation, for clause (ii) and proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii)The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

Note: -The principal notification number 2/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification number 3/2024-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (13)/Fin(Exp-I)/2024-25/DS-I/866, dated 10/10/2024.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002
अधिसूचना संख्या 02/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक: 30th June 2025

सं.फा.3(13)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस- I/597 .-दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि परिषद की अनुशंसाओं पर जन हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI /374 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना सं0 2/2017-राज्य कर (दर), में निम्नलिखित आगे संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"105क.	30	जीन थेरेपी";
--------	----	--------------

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) तथा इसके साथ संलग्न परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अभिप्राय: सभी वस्तुएं जो खुदरा बिक्री के लिए हैं तथा जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (1) में यथापरिभाषित प्री-पैकड से है, जहां वह पैकेज जिसमें वस्तु प्री-पैकड है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपका हुआ लेबल है, उस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत घोषणाएं अंकित होना अपेक्षित है।"

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

टीप : मूल अधिसूचना सं० 2/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 की फा० सं० 3 (15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI /374 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई तथा अधिसूचना सं० 3/2024-राज्य कर (दर) द्वारा अंतिम संशोधन दिनांक 10/10/2024 की फा० सं० 3 (13)/वित्त (व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/866 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3 (13)/वित्त (व्यय- I)/2025-26/डीएस- I / 597

दिनांक: 30th / June / 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)